नीति निर्धारण समिति बैठक
दिनांक 17.03.2025
कार्यवाही विवरण

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के विभिन्न पदों (नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, डेन्टल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन एवं नेत्र सहायक) की सीधी भर्ती (वर्ष 2023) राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर (शिफू) के माध्यम से करवाई जा रही है। इन भर्तियों के संबंध में चिन्हित बिन्दुओं पर निर्णय लिए जाने बाबत नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 17.03.2025 को प्रमुख शासन सचिव महोदया, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में उनके सचिवालय स्थित कक्ष में आयोजित की गई।

बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची संलग्न है।

उक्त बैठक में एजेन्डानुसार चर्चोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये–

क्र. सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	चर्चा के बिन्दु	दिनांक 07.3.2025 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत वस्तुपरक टिप्पणी एवं समिति द्वारा लिया गया निर्णय	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
1	1189	फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में दोहरा लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में गत बैठक दिनांक 3.7.2025 के एजेन्डा सं. 1184 पर दिये गये निर्देशों के कम में।	**टिप्पणी** – फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में दोहरा लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.5.2024 में पारित निर्णय के कम में अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से अनुभव अवधि के दौरान दोहरा कार्य/लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं। चूंकि शपथ पत्र में प्रस्तुत तथ्यों का मिलान/पुष्टि अनुभव अवधि के दौरान किसी निजी संस्थान/मेडिकल स्टोर आदि पर कार्य किये जाने अथवा लाईसेंस निजी/सरकारी-संस्थानेां के संचालन हेतु उपयोग में लिये जाने के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है। अतः संस्थान स्तर पर संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप–3), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वाछित सूचना हेतु आयुक्त, औषधि नियंत्रण मुख्यालय से इस सम्बन्ध में	समिति द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया– 1. अंतरिम चयन सूची में सम्मिमलित अभ्यर्थियों द्वारा अनुभव अवधि के दौरान दोहरा लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथपत्र में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं एवं अभ्यर्थी द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा ~~[illegible]~~ शिक्षा/सहकारिता विभाग के संस्थान पर कार्य करते हुए अपने ड्रग लाइसेंस का उपयोग अन्यत्र भी कर लाभ प्राप्त किया है तो ऐसे अभ्यर्थियों को दोहरे लाभ की अवधि का अनुभव का लाभ दिया जाना सर्वथा अनुचित होगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को उस अवधि के अनुभव का बोनस का लाभ नहीं दिया जा सकता जिसमें उनका ड्रग लाइसेंस 'एक्टिव' रहा है। ~~तदनुसार~~

		रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है जिससे कि अंतिम चयन सूची जारी करने से पूर्व दोहरी अवधि के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके। उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों की राय में शपथ पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही यथा अनुभव अवधि में कटौति अथवा पात्रता निरस्त करने अथवा अन्य कोई कार्यवाही किये जाने का निर्णय नीति निर्धारण समिति की आगामी बैठक में करवाये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया है। अतः प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष निर्णयार्थ बैठक दिनांक 24.2.2025 को प्रस्तुत किया गया। **निर्णय 24.2.2025**– समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम औषधि नियंत्रक के माध्यम से दोहरा लाभ प्राप्त करने वाले/शपथपत्र में मिथ्या सूचना देने वाले अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या का आंकलन किया जाये एवं तत्पश्चात विस्तृत प्रस्ताव के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये। उपरोक्त के कम में वस्तुस्थिति संलग्नकानुसार है। उपरोक्तानुसार औषधि नियंत्रक को प्रेषित अभ्यर्थियों की सूची पर औषधि नियंत्रक से प्राप्त सूचना के आधार पर दोहरा लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अनुभव अवधि व दोहरा लाभ अवधि का अंतरिम चयन सूची में दिये गये बोनस एवं जॉच रिपोर्ट के उपरान्त देय बोनस का विश्लेषण किया गया जो समिति के समक्ष इन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रकिया से बाहर करने अथवा अनुभव अवधि का पुनिर्धारण कर तद्नुसार बोनस अंकों का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णयार्थ चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया। **निर्णय दिनांक 7.3.2025** समिति द्वारा निर्णय लिया गया	2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने दोहरे लाभ की अवधि का शपथपत्र में सही उल्लेख कर दिया है, उन्हे भी उस अवधि के अनुभव का बोनस का लाभ नहीं दिया जा सकता जिसमें उनका ड्रग लाइसेंस 'एक्टिव' रहा है। तद्नुसार ही बोनस अंक प्रदान किये जायें। 3. अंतरिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इनमें भी दोहरा लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दोहरे लाभ की अवधि के अनुभव के बोनस अंक प्रदान नहीं किये जायें। तत्पश्चात अभ्यर्थी यदि मेरिट के आधार पर अंतिम चयन सूची में चयनित होते हैं तो इन्हे शपथपत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अध्याधीन चयनित कर परिणाम रोका जाये।

			कि दोहरा लाभ लेने वाले अथवा झूठा शपथपत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। अतः केवल इस प्रकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हेतु पुनः एक अन्य बैठक रखा जाना उचित होगा। तद्नुरूप प्रकरण विस्तुत चर्चा हेतु समिति के समक्ष दिनांक 17.3.2025 की बैठक में प्रस्तुत किया गया।	

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग
राजस्थान सरकार

श्री योगेश शर्मा,
विशिष्ट शासन सचिव,
विधि विभाग
राजस्थान सरकार

संयुक्त शासन सचिव
चि.एवं स्वा. (ग्रुप–3) विभाग
राजस्थान सरकार

~~श्री दिनेश शर्मा,~~
उप/संयुक्त शासन सचिव,
कार्मिक क–2 विभाग
राजस्थान सरकार

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

परियोजना निदेशक
एनएचएम
मुख्यालय

निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण संस्थान

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
मुख्यालय

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
मुख्यालय

उप विधि परामर्शी,
चि.एवं स्वा. विभाग, शासन सचिवालय

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी
चि.एवं स्वा. विभाग, शासन सचिवालय

उप विधि परामर्शी,
मुख्यालय